**<u>न्यायालयः— अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम</u>**
**मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण**

**आदेश**

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत काण्ड सूचक की ओर से कोई विरोध पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सूचक द्वारा यह केस अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज कराया था।

उक्त बिन्दु पर सहायक अभियोजन पदाधिकारी को सुना। जिनका कहना है कि चूंकि अभियुक्त अज्ञात है एवं सूचक को अंतिम प्रतिवेदन के प्रति कोई विरोध नहीं है। अतः अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जा सकता है।

अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि सूचक की ओर से अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार करने में विरोध नहीं जताया गया है तथा अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार करने हेतु समर्थन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह घटना किसने कारित किया है। अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अंतिम प्रतिवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर मुख्य न्या0 दंण्डा0— प्रथम